कार्यालय – नजारत अनुभाग, वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी–खीरी।

इश्तिहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अहाता वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी जिला लखीमपुर–खीरी के प्रांगण में स्थित कैंटीन(एक कमरा) वाहन स्टैण्ड, फोटो स्टेट(एक दुकान शटरदार), स्टेशनरी एवं फोटोग्राफी (एक दुकान शटरदार) के प्रत्येक एक दुकान के ठेके हेतु वर्ष 2021–22 के लिए दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए अलग–अलग ठेकों की नीलामी दिनांक 31.03.2021 को वाह्य दीवानी अपर सत्र न्यायालय मोहम्मदी जिला लखीमपुर–खीरी के प्रांगण में अपरान्ह 4.30 बजे से की जायेगी।

अतएव जिस किसी को उक्त ठेकों की नीलामी हेतु बोली बोलना हो, वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त बोली बोल सकता है।

1– स्थायी आवास प्रमाण पत्र

2– फोटो आइ.डी.

3– दो फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं हैसियत प्रमाण पत्र

4– कैंटीन, वाहन स्टैण्ड, फोटो स्टेट व स्टेशनरी, फोटोग्राफर के प्रत्येक एक दुकान आदि की बोली बोलने वाले को बतौर कासनमनी रुपया 10,000/ बोली बोलने के पूर्व उपनाजिर के पास टेण्डर द्वारा नकद जमा करानी होगी। बोली बोलते समय नकद धनराशि कासनमनी के रुप में स्वीकार नही की जायेगी। यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति इस जजी में पूर्व का ठेकेदार है तो उसे दिनांक 23.03.2021 तक उप नाजिर द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करके दाखिल करना होगा।

नं0–5 जिस व्यक्ति के ठेके की बोली नीलामी अधिकारी द्वारा स्वीकृत करते हुए समाप्त की जायेगी, उसे अपनी बोली के समाप्त होने के तुरन्त बाद अपनी बोली का 1/4 भाग नकद तुरन्त उपनाजिर के पास जमा कराना होगा।

6– जो ठेके मु0 10,000/–रुपये तक की बोली में समाप्त होंगे, उन ठेकों की पूरी रकम ठेके की नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा उप–नाजिर के पास जमा करानी होगी।

7– जो ठेके मु0 10,000/–रु0 से अधिक में दिये जायेंगे, उन ठेकेदारो को अपनी बोली का 1/4 भाग तुरन्त तथा 1/4 भाग जून, 2021 तक व 1/4 भाग सितम्बर, 2021 तक एवं शेष 1/4 भाग दिसम्बर, 2021 तक जमा कराना अनिवार्य होगा।

8– किसी भी ठेके की नीलामी की अधिकतम बोली तब तक अंकित नहीं समझी जायेगी, जब तक कि उसे माननीय जिला न्यायाधीश खीरी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जावे। माननीय जिला न्यायाधीश खीरी को यह अधिकार होगा कि किसी भी ठेके को अधिकतम बोली बिना कोई कारण बताये स्वीकार न करें तथा कम बोली अपनी बोली इच्छा विवेक से स्वीकार कर लेवें।

9– ठेकेदारों द्वारा जो कासनमनी जमा की जायेगी उसे ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद ही वापस किया जायेगा तथा उसे समायोजित नहीं किया जायेगा। यदि कोई ठेकेदार धारा 7 की शर्तों के अनुसार धनराशि समय से नही जमा करता है तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह कासनमनी को जब्त कर ठेका निरस्त कर दें।

10– जिन खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेंस की जरूरत है, उनके ठेकेदारों को नगरपालिका या स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी से या सम्बन्धित विभाग से उन पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

11– प्रत्येक ठेकेदार अपनी ठेकेदारी का कार्य स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि या नौकरों के माध्यम से संचालित करायेगा। ठेके का किसी व्यक्ति के नाम स्थानान्तरण नहीं करेगा और न ही किसी को शिकमी किरायेदारी पर देगा, यदि कोई ऐसा करते पाया गया तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह ठेके को निरस्त कर ठेके की धनराशि को जब्त कर लेवे।

12– सभी खाद्य पदार्थों के ठेकेदारी को अपनी दुकान पर बिक्री हेतु सामानों की सूची तथा मूल्य का विवरण टांगना अनिवार्य होगा। सभी खाद्य पदार्थों का मूल्य व गुणवत्ता स्थानीय बाजार के भाव के अनुरुप होगा। खाद्य पदार्थों के पदार्थों के मूल्यों का निर्धारण प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा किया जायेगा। सभी खाद्य पदार्थों को जाली से ढककर रखना अनिवार्य होगा।

13– सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं कीमत की आकस्मिक जॉच समय–समय पर प्रभारी अधिकारी नजारत, माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी द्वारा की जा सकती है तथा उनके द्वारा समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जाता रहेगा।

14– किसी भी ठेकेदार को अपने ठेके के स्थान पर दीवानी न्यायालय के प्रांगण के कोई स्थायी/अस्थाई निर्माण का अधिकार नहीं होगा तथा उन्हें दिनांक 31.03.2022 की सांय 5 बजे तक दीवानी न्यायालय प्रांगण से अपनी दुकान आदि अन्य सामान हटा लेना होगा।

15– साइकिल स्टैण्ड के ठेकेदार प्रत्येक व्यक्ति को जो उनके स्टैण्ड पर साइकिल, मोटरसाइकिल खड़ी करते है उसे टिन के दो टोकन जारी करेंगे, जिसमें एक टोकन सम्बन्धित वाहन पर लगाया जायेगा तथा दूसरा टोकन उसी नम्बर का सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा। तभी सम्बन्धित कोई भी वाहन के खो जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार को स्टैण्ड के चारों ओर कांटेदार तार या बांस का बड़ा बाड़ा बनवाकर रखना होगा। सम्बन्धित वाहन उस बाड़े व कांटेदार तार का बाड़ा बनाकर सम्बन्धित वाहन उस बाड़े के अन्दर ही रखे जा सकेंगे। सभी दैनिक मासिक स्टाफ हेतु तथा बाहरी व्यक्ति हेतु जो दरें हैं, साफ–साफ शब्दों में स्टैण्ड के बाहर लिखकर टांगना अनिवार्य होगा।

16– जिन ठेकेदारों का टेण्डर स्वीकृत होगा, उन ठेकेदारों का स्वीकृति के दिन से 15 दिन के अन्दर वर्ष 2021–22 दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक के लिए दिए गये ठेकों का ठेकानामा निर्धारित स्टाम्प पर माननीय जिला जज खीरी के निर्देशानुसार तहरीरी करना होगा। और इस ठेकानामा तहरीर करने का खर्चा सम्बन्धित ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।

17– ठेकेदार के दैवीय आपदा हड़ताल आदि में दुकान बन्द होने पर उसको किसी प्रकार की छूट प्रदान नही की जा सकती।

दिनांक 19.03.2021

(मुकेश फातमा)	(मुकेश यादव)	(सुरेन्द्रपाल सिंह)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/	सदस्य, ठेका नीलामी समिति/	अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज(जू0डि0)	सिविल जज(सी0डि0),	अपर जिला न्यायाधीश,
मोहम्मदी–खीरी।	मोहम्मदी–खीरी।	मोहम्मदी–खीरी।

Scanned by CamScanner

विचारण कक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोहम्मदी, (बाह्य स्थित न्यायालय) लखीमपुर–खीरी।

कार्यवृत्त ठेका नीलामी समिति

19.03.2021

बाह्य स्थित न्यायालय मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी में वाहन स्टैण्ड, कैन्टीन, फोटो स्टेट दुकान तथा फोटोग्राफी व स्टेशनरी की दुकान की नीलामी किये जाने के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के आदेश दि0 12.03.2021 के अनुसार उक्त कार्य हेतु नीलामी समिति गठित की गई है, जिसमें मेरे अलावा श्री मुकेश यादव, सिविल जज (सी0डि0)/ए0सी0जे0एम0, मोहम्मदी, खीरी तथा उरूज फात्मा, सिविल जज(जू0डि0), मोहम्मदी, खीरी को नामित किया गया था। आज दि0 19.03.2021 को समिति द्वारा ठेका नीलामी की तिथि दि0 31.03.2021 को सर्व सम्मति से तय की गयी है। माननीय जनपद न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में वाहन स्टैण्ड, कैन्टीन, फोटो स्टेट दुकान तथा फोटोग्राफी व स्टेशनरी की दुकान की नीलामी किये जाने की बावत पूर्व में तय न्यूनतम बोली मूल्य से वर्तमान वर्ष 2021 में 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य पर ठेका नीलामी की प्रकिया आरंभ किये जाने हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया है।

अतः कार्यवृत्त माननीय जनपद न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी के समुख इस आशय के साथ सादर प्रेषित किया जा रहा है कि यदि माननीय उचित समझे को उपरोक्त ठेकों की नीलामी हेतु प्रस्तावित इश्तिहार की प्रति का अनुमोदन एवं नीलामी हेतु दि0 31.03.2021 को नियत किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

अतः आख्या श्रीमान जी की सेवा में अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु सादर प्रेषित है।

दिनांक 19.03.2021

(उरूज फातमा)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज(जूनियर)
मोहम्मदी–खीरी।

(मुकेश यादव)
सदस्य, ठेका नीलामी समिति/
सिविल जज(सीनियर),
मोहम्मदी–खीरी।

(सुरेन्द्रपाल सिंह)
अध्यक्ष, ठेका नीलामी समिति/
अपर जिला न्यायाधीश,
मोहम्मदी–खीरी।

Scanned by CamScanner